



Neutral Citation No - 2026:AHC:43622-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2026 की 953

भारत संघ, सचिव, रक्षा मंत्रालय के माध्यम से एवं 2 अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

फरहाद अहमद

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता : एस.पी. सिंह, भारत के अपर महान्यायाभिकर्ता, विवेक कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : आशीष कुमार श्रीवास्तव, सुनील

मुख्य न्यायाधीश न्यायालय

माननीय न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

1. यह याचिका केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इलाहाबाद पीठ, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 18.11.2024 के विरुद्ध लक्षित है, जिसके द्वारा प्रतिवादी द्वारा दाखिल मूल आवेदन ('मू.आ.') अनुमत किया गया है एवं याचिकाकर्तागण को निर्देशित किया गया है कि वे प्रतिवादी को वही परिलाभ प्रदान करें जो अधिकरण की जोधपुर पीठ द्वारा विनिर्णीत मू.आ. संख्या 440/2013, 441/2013 एवं 442/2013 के आवेदकों को प्रदान किए गए थे।

2. उक्त मू.आ. प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्तागण को यह निर्देश देने हेतु दाखिल किया गया था कि वे क्रमशः 22.03.1995, 30.01.2000 एवं 20.05.2003 से, अर्थात् उस दिनांक से जब उनके कनिष्ठों

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



को पदोन्नति प्रदान की गई थी, एच.एस.-II, एच.एस.-I एवं एम.सी.एम. के रूप में उनकी पदोन्नति की तिथि का पुनर्निर्धारण करें।

3. प्रतिवादी को प्रारम्भ में गैरीसन इंजीनियर (थलसेना), सूरतगढ़ (राजस्थान) के अधीन मस्टर रोल पर दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी गई थीं, जिसके विरुद्ध मू.आ. संख्या 93/1987 दाखिल किया गया था, जो याचिकाकर्तागण को प्रतिवादी को सेवा में पुनर्स्थापित करने के निर्देश के साथ अनुमत किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध भारत संघ द्वारा दाखिल सिविल अपील का विनिश्चय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 08.10.1989 को पिछला वेतन (back wages) देने से इनकार करते हुए तथा यह निर्देशित करते हुए किया गया कि मू.आ. के आवेदकों को उस पद पर नियमित किया जाए जिस पर उन्हें पुनर्स्थापित किया गया है।

4. याचिकाकर्तागण ने प्रतिवादी को पुनर्स्थापित तो किया, परन्तु एम.पी.ए. के पद पर नहीं, जिसके कारण कतिपय कर्मचारियों द्वारा अधिकरण की जोधपुर पीठ के समक्ष एक अन्य मू.आ. दाखिल किया गया; उक्त मू.आ. याचिकाकर्तागण को एम.पी.ए. के पद पर नियमितीकरण हेतु विचार करने का निर्देश देते हुए अनुमत किया गया।

5. इसी मध्य, प्रतिवादी को उनके स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरित करके गैरीसन इंजीनियर (जी.ई.), इलाहाबाद में पदस्थापित किया गया। समान स्थिति में स्थित कर्मचारियों ने पुनः मू.आ. संख्या 440/2013, 441/2013 एवं 442/2013 दाखिल करके अधिकरण की जोधपुर पीठ के समक्ष याचिका की, जिसमें उस दिनांक से पदोन्नति की याचना की गई थी जब उनके कनिष्ठों को एच.एस.-II, एच.एस.-I एवं एम.सी.एम. के रूप में पदोन्नति प्रदान की गई थी, जो अनुमत किए गए।

6. प्रतिवादी ने जोधपुर पीठ द्वारा दिए गए समान निर्देश की याचना करते हुए वर्तमान मू.आ. दाखिल किया।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्रतिवादी, मू.आ. संख्या 440/2013 आदि के आवेदकों के समान स्थिति में थे तथा यह प्रेक्षित करते हुए कि समान स्थिति वाले कर्मचारी के साथ असमान व्यवहार नहीं किया जा सकता, उपर्युक्तानुसार मू.आ. अनुमत किया।

8. याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता ने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए कि अधिकरण ने प्रतिवादी को मू.आ. संख्या 440/2013 आदि के आवेदकों के समान पदोन्नति प्रदान करने का निर्देश दिया है, जो जी.ई., सूरतगढ़ के अधीन सेवारत हैं, जबकि प्रतिवादी वर्ष 1997 में अपने स्वयं के अनुरोध पर जी.ई., इलाहाबाद में स्थानान्तरित हो गए थे और नियमों के निबन्धन में उन्हें न्यूनतम वरिष्ठता (bottom seniority) पर रखा गया था, अतः वे उस दिनांक से वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकते जब वह मू.आ. संख्या 440/2013 आदि के आवेदकों को प्रदान की गई थी, जिस पहलू को अधिकरण द्वारा उपेक्षित कर दिया गया है।

9. प्रतिवादी के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किए कि जब तक याचिकाकर्तागण प्रतिवादी के स्थानान्तरण एवं उन्हें न्यूनतम वरिष्ठता पर रखे जाने के तथ्य पर विचार करने के उपरान्त समान व्यवहार प्रदान करने हेतु तैयार हैं, तब तक प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।

10. हमने पक्षकारों के अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परीक्षण किया है।

11. मू.आ. संख्या 440/2013 आदि के आवेदकों को दिनांक 20.03.1995 से एच.एस.-II, दिनांक 30.01.2000 से एच.एस.-I एवं दिनांक 20.05.2003 से एम.सी.एम. के रूप में पदोन्नति प्रदान की गई थी। यदि प्रतिवादी के प्रकरण में जी.ई., सूरतगढ़ से जी.ई., इलाहाबाद में उनके स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण एवं परिणामस्वरूप न्यूनतम वरिष्ठता पर रखे जाने की विशेष परिस्थिति को समान स्थिति में स्थित आवेदकों के प्रकरणों में दिए गए निर्देशों के साथ लागू किया जाए, तो वास्तविक स्थिति यह होगी कि वर्ष 1995 में जब प्रतिवादी जी.ई., सूरतगढ़ में थे, वे एच.एस.-II के पद पर पदोन्नति के पात्र होंगे और वर्ष 1997 में जब वे स्थानान्तरण पर जी.ई., इलाहाबाद आए, तो

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उन्हें उस स्तर पर एच.एस.-II की न्यूनतम वरिष्ठता पर रखा जा सकता है और तत्पश्चात् अपने तत्काल कनिष्ठों के सापेक्ष, उन्हें जी.ई., इलाहाबाद में क्रमशः एच.एस.-I एवं एम.सी.एम. के पद पर पदोन्नति प्रदान की जा सकती है।

12. उपर्युक्त रीति से आदेश का कार्यान्वयन याचिकाकर्तागण द्वारा व्यक्त सभी आशंकाओं का निराकरण कर देगा, जिससे याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता ने तत्परता से सहमति व्यक्त की और प्रतिवादी के अधिवक्ता को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

13. उपर्युक्त के दृष्टिगत, याचिकाकर्तागण द्वारा दाखिल यह याचिका अंतिमता से निस्तारित की जाती है। मू.आ. संख्या 622/2021 में पारित आदेश दिनांकित 18.11.2024 को उपर्युक्तानुसार कार्यान्वित किया जाएगा और उस सीमा तक आक्षेपित आदेश उपन्तरित माना जाएगा।

(क्षितिज शैलेन्द्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश)

25 फरवरी, 2026

एन.डी.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"